

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:-डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:- 297/2025

श्री विक्रम सिंह, निवासी गोदारों का बास, बडापाना भौडकी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनू, पिन कोड
333032, मो०न० 9784500632

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 14.08.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.07.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 297/2025 पर दिनांक 22.07.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/3598-3599 दिनांक 22.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/995 दिनांक 13.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री विक्रम सिंह पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी गोदारों का बास, भौडकी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे 11.06.2025 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/213 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने सूचना नहीं मिलना जाहिर किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/995 दिनांक 13.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री विक्रम सिंह पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी गोदारों का बास, भौडकी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे 11.06.2025 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/213 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का यह अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू प्रार्थी को 7 दिवस मे निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरूण गर्ग)

जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर, झुंझुनू